न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 37/22 निर्णय दिनांकः– 17.10.2023
(जीसीएमएस संख्या 2022/65)

1. सरोजदेवी पत्नी रामकुमार
2. कविता
3. प्रियंका पुत्र/पुत्रियॉ रामकुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली
4. बरखा माता सरोजदेवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी
5. पलक मटोरियान ढाणी तहसील हनुमानगढ़।
6. अभय

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–07–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 22–07–1999 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स के पति/पिता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर बतौर विशेष आवंटन उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 12/49 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया तथा उक्त आवंटन की पालना में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित है। इसमें अपीलांट्स का कोई दोष नहीं है। अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट्स अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्स को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—02—1997 के विरूद्व अपील दिनांक 23—02—22 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—02—1997 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23—02—2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से अपीलांट्स के पति/पिता को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 12/49 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि बाद में अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट्स के पति/पिता को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट्स के पति/पिता को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स के पिता की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है। .

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांटस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—02—1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.10.23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर